न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—289/2019/223 (2019/00289)

1. फिरोज खां पुत्र सत्तार खां,
2. अफरोज खां सत्तार खां,
3. श्रीमती बिस्मिल्लाह पत्नी सत्तार खां,
   जाति मुसलमान पठान, निवासी जालिया प्रथम, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती हसीना पत्नि आलम खां पुत्री सत्तार खां, जाति मुसलमान पठान, नि0 बलाड़, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती जरीना पत्नि ईस्माईल खां पुत्र सत्तार खां, जाति मुसलमान पठान नि0 ग्राम सालाकोट, तह0 रायपुर, जिला पाली ।
6. साजिद खां पुत्र निसार खां (दौराने वाद नाबालिग)
7. सद्दाम खां पुत्र निसार खां (नाबालिग)
8. शाहिद खां पुत्र निसार खां (नाबालिग),
   जाति मुसलमान पठान, नि0 जालिया प्रथम, हाल नि0 गहलोत सिपाहियों का बड़ा वास, जैतारण, जिला पाली ।
9. छोटू खां पुत्र जमाल खां, जाति मुसलमान पठान, निवासी जालिया प्रथम, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मोहम्मद सद्दीक पुत्र जमाल खां, जाति मुसलमान पठान, नि0 जालिया प्रथम, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती जन्नत पत्नि गफ्फार खां,
3. फरीदा पुत्री गफ्फार खां,
4. मेरूना पुत्री गफ्फार खां,
   जाति मुसलमान पठान, नि0 जालिया प्रथम, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस/वादीगण

5. तहसीलदार, जरिये भूमिधारी, ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. उप पंजीयक, तहसील परिसर, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पो0/प्रतिवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 3.5.2018 अंतर्गत वाद संख्या 80/2013.

उपस्थितः—

1. श्री मनीष खण्डेलवाल, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 5 व 6.

निर्णय

दिनांकः— 31.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा जालिया प्रथम, तह0 ब्यावर में खाता संख्या 394 के खसरा नंबर 425 रकबा 1—16—00, 1017 रकबा 2—13—10, 1020 रकबा 1—6—10, 1074 रकबा 5—5—00, 1082 रकबा 3—14—10, 1083 रकबा 2—5—00, 1086 रकबा 1—17—00 एवं 1087 रकबा 3—6—10 कुल किता 8 कुल रकब 22—4—00 बीघा भमि अवस्थित है । उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है जिसमें वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 2 से 4 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजियात का आज दिवस तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 1082 पर निर्माण कार्य करवाकर मकानात बनवा रहे है जबकि उक्त आराजियात में वादीगण का भी हिस्सा है । जब तक वादग्रस्त आराजियात का विधिक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक कोई भी खातेदार कृषि भूमि प्रयोजनार्थ के अलावा अन्य अकृषि कार्य के लिये प्रयोग में नहीं ले सकता है एवं न ही खुर्दबुर्द कर सकता है । वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात का विधिक बंटवारा करने तथा निर्माण कार्य रोकने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इंकार कर दिया गया इसलिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इस आशय का वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये । प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 12.12.2016 को पारित कर वादीगण/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा तहसीलदार, ब्यावर कारे बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये । उक्त वाद में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.4.2018 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किये गये जिस पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 3.5.2018 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 की प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2016 की अनुपालना में तहसीलदार, ब्यावर द्वारा बंटवारा प्रस्ताव बनाया जाकर अधी0न्याया0 को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है परन्तु तहसीलदार द्वारा राज0काश्त0अधि0 नियम 18 से 21 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव स्वंय तैयार करने के बजाय पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.4.2018 को तैयार करवाया जाकर अधी0न्याया0

को प्रेषित किया गया । अधी0न्याया0 ने उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर ही अंतिम डिक्री पारित कर दी जबकि उक्त बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया था । बहस में आगे कथन किया कि वाद प्रस्तुति के पूर्व ही वादग्रस्त सम्पति में अपीलांटस तथा रेस्पो0 द्वारा मौखिक रूप से विभाजन किया जाकर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अपीलांट संख्या 1 व 2 के मकान निर्मित्त है । वादग्रस्त आराजियात पर अपने–अपने हिस्से पर पूर्व में चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसार ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । राज0काश्त0 के नियम 18 से 21 के अनुसार जिस आराजी पर जिस काश्तकार का कब्जा काश्त होगा उस काश्तकार को बंटवारा प्रस्ताव में उक्त आराजी के संबंध में प्राथमिकता मिलेगी जब तक कि उक्त काश्तकार के हिस्से से अधिक आराजी नहीं परन्तु पटवारी हल्का द्वज्ञारा उपरोक्त तथ्य को बंटवारा प्रस्ताव बनाते समय पूर्णतया नजरअदांज कर दिया गया कि वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से पर अपीलांटस पूर्व में ही कब्जेशुदा है जिसके संबंध में पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया है । बहस में आगे कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा तैयार किया गया है जिसमें प्रवितादीगण की उपस्थिति में मौका निरीक्षण करना उल्लेखित किया है परन्तु मौका पर्चा की अंतिम पंक्ति में प्रतिवादीगण/अपीलांटस को अनुपस्थित दर्शाया गया है । पटवारी हल्का ने मौके पर गये बिना मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की है जिसके आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । पटवारी हल्का ने मौका पर्चा रिपोर्ट पर किसी भी ग्रामवासी के गवाह बाबत् हस्ताक्षर नहीं कराये है जिससे मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार करना संदिग्ध प्रतीत होती है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा में प्राथमिक डिक्री पारित की तथा उक्त एकतरफा प्राथमिक डिक्री के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.2018 को निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस को बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति किये जाने के अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2018–19 पेज 20, आर0आर0टी0 2019 पेज 1404, ए0आई0आर0 1998 पेज 21, ए0आई0आर0 1998 पेज 38, आर0आर0टी0 2016 पेज 1200 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के नोटिस अपीलांटस पर सम्यक रूप से तामील नहीं होने तथा अधी0न्याया0 द्वारा मनमाने तौर पर सम्मिलित परिवार की उपधारणा करते हुए अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलांटस को निर्णय व डिक्री की निर्णय दिनांक को जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलांट संख्या 2 भारतीय सेना में सेवारत है जो ईद का त्यौहार परिवार के साथ मनाने तथा अपनी कृषि आराजियात की देखभाल हेतु छुट्टिया लेकर गांव आया हुआ था तब दिनांक 5.8.2019 को अपीलांट संख्या 2 वादग्रस्त राजस्व रिकार्ड की जानकारी हेतु पटवारी हल्का के पास गया तब अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई । जिस पर अपीलांट ने उक्त वाद एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 7.8.25019 को आवेदन पेश किया तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावल का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 80/2013 में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का वाद डिक्री किया जाकर वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2016 को पारित की गई तत्पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा वाद में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.20158 को पारित की गई है। अपीलांटस/प्रतिवादीगण द्वारा हाजा न्यायालय में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2016 के विरूद्ध अपील संख्या 2019/00290 पेश की गई थी जो हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 3.1.2020 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2016 के आधार पर पारित की गई है । चूंकि उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.2016 को जब हाजा न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध मानकर निरस्त किया गया है तो इसके आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 3.5.2018 भी स्वतः ही सारहीन हो जाती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.2018 निरस्त योग्य पायी जाती है ।।

8. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 3.5.2018 खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर